



2026:AHC: 180790

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 5259 वर्ष 2026

आदिल और 2 अन्य

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता : दिनेश कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।
2. यह पुनरीक्षण विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, एफ.टी.सी.-II, अमरोहा द्वारा सत्र विचारण संख्या 55 वर्ष 2026 (राज्य बनाम नाजिम और अन्य) में पारित आदेश दिनांक 02.07.2026 के विरुद्ध दाखिल किया गया है, जिसके द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 94/95 के अंतर्गत पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया गया है।
3. पुनरीक्षण की सुनवाई के समय, यह न्यायालय पाता है कि वह आवेदन, जिसे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, केवल पुनरीक्षणकर्ता संख्या 2 और 3 की ओर से दाखिल किया गया था। हालांकि, वर्तमान पुनरीक्षण पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 सहित सभी अभियुक्तों की ओर से दाखिल किया गया है, जो विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किए गए आवेदन में आवेदक नहीं था। इसलिए, जहां तक आक्षेपित आदेश का संबंध है, पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यथित व्यक्ति नहीं है। पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को आज के दिन के दौरान पक्षकारों की सरणी से पुनरीक्षणकर्ता संख्या 1 का नाम हटाने का निर्देश दिया जाता है।

4. पुनरीक्षणकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का अभिवेदन है कि आरोप विरचित होने के पश्चात आवेदन तब दाखिल किया गया था, जब विचारण अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर लंबित था। यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत किए जाने के लिए मांगे गए कॉल डिटेल् रिकॉर्ड (सीडीआर), टावर लोकेशन और अन्य संबंधित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री मामले के उचित न्यायनिर्णयन के लिए तात्विक और आवश्यक थे। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय पूर्वोक्त सामग्री की प्रासंगिकता और आवश्यकता पर विचार करने में विफल रहा है और उसने असमर्थनीय आधारों पर आवेदन को खारिज कर दिया है।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वैध कारणों से आवेदन को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि पुनरीक्षणकर्ता तलब की जाने वाली सामग्री की आवश्यकता या प्रासंगिकता को प्रदर्शित करने वाले किसी भी ठोस कारण का खुलासा करने में विफल रहे हैं। इसलिए, पुनरीक्षण गुण-दोष रहित है और खारिज किए जाने योग्य है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया है।

7. अभिलेख के परिशीलन से, यह प्रतीत होता है कि पुनरीक्षणकर्तागण द्वारा बीएनएसएस की धारा 94/95 के अंतर्गत सीडीआर, टावर लोकेशन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रस्तुत करने की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया गया था।

8. बीएनएसएस की धारा 94 निम्नवत है:-

"94. दस्तावेज या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिए समन।

(1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी दस्तावेज, संचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार, जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है, या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करना इस संहिता के अंतर्गत ऐसे न्यायालय या अधिकारी द्वारा या उसके समक्ष किसी विवेचना, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय है, तो ऐसा न्यायालय एक समन जारी कर सकता है या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश द्वारा, भौतिक रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, उस व्यक्ति से जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज या वस्तु के होने का विश्वास है, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह समन या आदेश में बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित हो और उसे प्रस्तुत करे, या उसे प्रस्तुत करे।

(2) इस धारा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति से केवल कोई दस्तावेज, या अन्य वस्तु प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, तो यदि वह उसे प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के बजाय ऐसे दस्तावेज या वस्तु को प्रस्तुत करवाता है, तो यह माना जाएगा कि उसने अपेक्षा का अनुपालन किया है। (3) इस धारा की किसी भी बात के बारे में यह नहीं माना जाएगा- (क) कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करती है; या (ख) कि वह डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होती है। इस धारा की किसी भी बात के बारे में यह नहीं माना जाएगा- (क) कि वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 129 और 130 या बैंकर्स बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) को प्रभावित करती है; या (ख) कि वह डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या वस्तु पर लागू होती है।"

9. उपरोक्त प्रावधानों के दृष्टिगत यदि न्यायालय किसी दस्तावेज, संचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार, या अन्य वस्तुओं को प्रस्तुत करना अधिनियम के अंतर्गत किसी भी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या वांछनीय समझता है, तो उस व्यक्ति को जिसके कब्जे या शक्ति में ऐसे दस्तावेज या वस्तु के होने का विश्वास है, उपस्थित होने और उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए समन या लिखित आदेश जारी करना है।

10. वर्तमान वाद में, विद्वान विचारण न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्तागण के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया है कि आरोप पहले ही विरचित किए जा चुके थे और पुनरीक्षणकर्तागण ने अन्वेषण के दौरान ऐसी सामग्री की मांग नहीं की थी। अभियुक्त यह खुलासा करने में भी विफल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रहे हैं कि उनके द्वारा मांगी गई सीडीआर, टावर लोकेशन या अन्य सामग्री कथित अपराध के समय उनकी भूमिका या उपस्थिति के संबंध में कैसे प्रासंगिक थी।

11. बीएनएसएस की धारा 94 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग वहां किया जाना आवश्यक है जहां विचारण के निष्पक्ष और उचित न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक या वांछनीय है।

12. वर्तमान वाद में, पुनरीक्षणकर्ता कोई ठोस या वैध कारण प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि पूर्वोक्त सामग्री विचारण के उचित न्यायनिर्णयन के लिए क्यों आवश्यक है। तलब की जाने वाली सीडीआर, टावर लोकेशन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की प्रासंगिकता स्थापित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष कोई विशिष्ट सामग्री नहीं रखी गई है।

13. पूर्वगामी चर्चा के दृष्टिगत, मैं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कोई ऐसी अवैधता या दुर्बलता नहीं पाता हूं, जो इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करती हो।

14. तदनुसार, पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है।

31 अगस्त, 2026

प्रियंका

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”